

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु० सुमन वर्मा पुत्र/पुत्री धर्मदेव निवासी गंगपुर सिटी 26
ग्राम/कस्बा गंगपुर सिटी जिला/संभाग राजस्थान राज्य/संघ क्षेत्र राजस्थान के निवासी
.....समुदाय जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश,1950

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश,1950

संविधान(अनुसूचित जाति,संघ क्षेत्र) आदेश,1951

संविधान(अनुसूचित जनजाति संघ क्षेत्र) आदेश,1951

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (परिशोधन)आदेश 1950 मुंबई रिआर्गनाइजेशन एक्ट 1960 पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट 1966, पूर्वोत्तर क्षेत्र(रिआर्गनाइजेशन)एक्ट 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)अधिनियम,1970 द्वारा यथासंशोधित संविधान(जम्मू एवं कश्मीर)अनुसूचित जाति आदेश,1956,संविधान(अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह)अनुसूचित जनजाति आदेश,1958,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,1976 द्वारा यथा संशोधित)

संविधान(दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964

संविधान अनुसूचित जनजाति(उत्तर प्रदेश) आदेश,1967

संविधान(गोआ दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968

संविधान(गोआ दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968

संविधान(नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश(संशोधन) अधिनियम,1990

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश(संशोधन)अध्यादेश,1991

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश(दुसरा संशोधन) ,1991

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश(संशोधन) अध्यादेश,1996

2. यह उन अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य / संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हों।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमति/कुमारी के पिता/माता श्री/ श्रीमति
निवासी ग्राम/कस्बा जिला/संभाग प्रदेश/संघ क्षेत्र
को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया जो
राज्य/संघ क्षेत्र में द्वारा जारी दिनांक द्वारा मान्यता प्राप्त
अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं

3. श्री/श्रीमति सुमन वर्मा तथा या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा गंगपुर सिटी जिला/संभाग राजस्थान
राजस्थान राज्य/संघ क्षेत्र में रहते/ रहता है।
राज्य/संघ क्षेत्र राजस्थान हस्ताक्षर.....
स्थान: गंगपुर सिटी पदनाम.....
दिनांक: 1/11/2018 (कार्यालय की मोहर)

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।
जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।



तहसीलदार
गंगपुर सिटी (संभा०)

टिप्पणी:यहां प्रस्तुत साधारणतया का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 खण्ड 20 में हैं
टिप्पणी:जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं।

1. जिला मजिस्ट्रेट/अवर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे रैंक न हो)
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के नीचे के रैंक का न हो।
4. उस क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार साधारणतया रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।